कार्यालय नगर पालिक निगम, रतलाम (म.प्र.)
Municipal Corporation, Ratlam (M.P.)

01 कलिंग रोड, रतलाम | दूरभाष : 07412-270555 | फैक्स नं. : 07412-270556 | Email-commratlam@mpurban.gov.in | Website : www.mcratlam.in

क्रमांक/442/स्था. शाखा/2024 रतलाम दिनांक : 22/07/2024

दिव्यांगजनों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जारी किये जाने वाले विज्ञापन का प्रारूप
कार्यालय का नाम- नगर पालिक निगम, रतलाम (म.प्र.)

विज्ञापन

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर रीट/डब्ल्यू.पी. क्र. 7215/2017 में पारित आदेश दिनांक 22.01.2024 एवं शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 07-19/2019/आठ (1) दिनांक 14.02.2024 एवं शासन, आयोग विकलांग एवं अल्पसंख्यक विभाग के पत्र क्रमांक 676/31/37123/2023/16-1 दिनांक 16.02.2023, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल के पत्र क्रमांक/स्था./रतलाम/201/पत्राचार/2024/3740 भोपाल दिनांक 26.02.2024 तथा संचालनालय समावेशन प्रशासन विभाग, संचालनालय कार्यालय भवन, के पत्र क्रमांक एफ 8-2/2013/आठ (1) एवं पत्र दिनांक 24.01.2024 एवं अन्य संबंधों में दिये गये दिशा-निर्देशानुसार रिक्त भरी जाने अभिलाषी के लिये दिव्यांगजनों के लिये दिव्यांग पद का नाम चतुर्थ श्रेणी के आवश्यक पद। पदों की पूर्ति चयन द्वारा प्रक्रियानुसार के माध्यम से की जाना है, इस हेतु निर्धारित योग्यता एवं आयु रखने वाले अभ्यर्थी योग्य दिव्यांग प्रारूप में आवेदन पत्र भर कर दिनांक 7.08.24 कार्यालयीन समय 5:30 सायंकाल तक आवेदन पत्र प्राप्त करें। निर्धारित समयावधि में आवेदन पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में उन पर विचार नहीं किया जायेगा। डाक के माध्यम से किसी भी प्राप्त आवेदन पत्र के लिए निगम उत्तरदायी नहीं होगा। दिव्यांग भर्ती हेतु आयोजित किसी पदों का विवरण, वेतनमान, निर्धारित योग्यता एवं चयन हेतु दिव्यांग के लिए निर्धारित तिथि की जानकारी निम्नानुसार है-

क्रं.	पद का नाम	पद की श्रेणी	वेतनमान	दिव्यांगजनों की लिए आरक्षित वर्गवार रिक्तिया				निर्धारित योग्यता	वॉक-इन-इंटरव्यू हेतु निर्धारित तिथि
				दृष्टी बाधित और कम दृष्टि	बहरे और कम सुनने वाले	लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जिसमें सम्मिलित है, सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक, पेशिय, मस्कुलर डिस्ट्रफी	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता मेंसिक लिमि डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	माली (प्रशिक्षित)	तृतीय	19500-62000 एच-4	0	0	1	0	कक्षा 8 वी उत्तीर्ण तथा मान्यता प्राप्त संस्था से प्रशिक्षण अथवा 5 वर्ष का अनुभव	-
02	भृत्य	चतुर्थ	16600-52000 एच-1	1	0	0	0	कक्षा 10 वी उत्तीर्ण	-
03	चौकीदार	चतुर्थ	16600-52000 एच-1	0	1	0	0	कक्षा 10 वी उत्तीर्ण	-

मुख्य शर्तें

01. आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
02. समान प्रकृति पदों की संख्या अधिकाधिक आवेदक संलग्नित करने पर उसका प्रावधान पद की पूर्ति / समायोजन हेतु की जाये।
03. संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 3-38/16/1/3 भोपाल दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 42 वर्ष आयु की गणना आवेदन हेतु निर्धारित अंतिम दिनांक को की जावेगी। विधवा महिला, परित्यक्ता महिला के संबंधित में उक्त सीमा में 5 वर्ष की छूट / विधवा महिला / परित्यक्ता / अनाथ / अविवाहित) आदि के लिये 18 से 35 वर्ष अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट होगी।
04. संचालनालय प्रशासन, संचालनालय विकास के आदेश क्रमांक एफ-3-38-2016-3-एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 एवं पत्र क्रमांक एफ 3-38/16/1/3 भोपाल, दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार के अनुसार आवेदक का मध्यप्रदेश राज्य के संबंधित क्षेत्र का ही मूल निवासी होना अनिवार्य होगा।
05. आवेदक को यदि इस प्रकार का संबंधित क्षेत्र के संबंध कोई प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा।
06. वि.अ.क. का प्रमाण पत्र मूल प्रमाण पत्र के संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो मान्य होगा।
07. दिव्यांगता संबंधी मूल विकलांग प्रमाण-पत्र जारी प्रमाण-पत्र की सत्यता जांच कराने हेतु जारी किया गया हो मान्य होगा।
08. वॉक-इन-इंटरव्यू के लिए आवेदन करने आवेदकों को निर्धारित पत्र का प्रारूप डाउनलोड करना होगा।
09. अपूर्ण आवेदन एवं अनावश्यक आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जाएगा।
10. भर्ती से संबंधित जानकारी एवं अन्य संबंधित समय से निगम विभाग की सूचना की जा सकती है।
11. यदि कि किसी आवेदक को चयनित किसी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लिए (21 वर्ष) पद के आवेदन की तिथि (18 वर्ष) के पूर्व ही यदि उक्त पदों की तिथि अयोग्य माना जायेगा।
12. यह सूचीपत्र कब की व्यवस्था करने आवेदक को शर्तों के तहत आवेदन पत्र के लिए निर्धारित समस्त आवेदन की और शर्तों को आवेदन स्वीकृत करने की अंतिम तिथि पूर्ण करना है।
13. आवेदन पत्र में कोई जानकारी अधूरी, असत्य या तुटिपूर्ण पाया जाने पर अथवा उपरोक्त प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया जाता है, तो उसके आधार पर आवेदक को पूर्व सूचना दिये बिना उसका आवेदन पत्र किसी भी समय पर निरस्त किया जा सकता है।
14. मांग / चौकीदार के पदों पर आवेदक न्यूनतम पात्रता वर्तमान 2023 अनुसार होना है।
15. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 25.06.2014 अनुसार खेलकूद आयोजन में भाग लेने वाले दिव्यांगजनों को श्रेणी के आधार आरक्षण दिये जाने से विशेष रियायतें जानकारियों / सर्टिफिकेट / सर्टिफिट, भर्तियां एवं चयन / नियुक्ति आदि हेतु भुगतान मौलिक श्रेणी के अन्तर्गत की पृथक से अनुमति का लाभ पात्र नहीं होगा।
16. ऐसे समस्त आवेदन पत्र जो अपूर्ण है तथा निर्धारित प्रारूप में नहीं है या निर्धारित कर दिये जाएंगे, अभ्यर्थियों को कूटसंगणित किया है या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये गये हो जो कार्यान्वित किये गये हो वे भी निरस्त कर दिए जाएंगे। साथ ही ऐसे किसी पाया गया हो, जिससे पाये जाने पर उसकी पात्रता नहीं पाई गई हो, उसे चयन के लिए आवश्यक हो, तो ऐसे आवेदन पत्र भी निरस्त कर दिए जाएंगे।
17. दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी का उपलब्ध नहीं होने पर उक्त पदों को अन्य दिव्यांग वर्ग के व्यक्ति से भी भरा जा सकेगा यदि उक्त वर्ग से भी उपलब्ध नहीं होने पर उक्त पदों को अनारक्षित वर्ग से भरा जा सकेगा।
18. यदि किसी दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी के लिये उक्त पदों का प्रावधान 42 प्रतिशत का अधिक पाया जाने पर भी कार्यवाहक होना पाया जायेगा।
19. शासन के आदेश के अनुसार चौथी श्रेणी अभ्यर्थी दिसंबर 03 से अधिक शैक्षिक सत्रांतरे है, दिसम्बर में एक का जन्म 26 फरवरी 2021 को या उसके पश्चात् हुआ है तो ऐसा अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा, लेकिन यदि एक पत्नी संतान है और पत्नी के प्रसव के समय 3 वर्ष से अधिक सत्रांतरे जन्म लेकर है तो उसे अपात्र नहीं माना जायेगा।
20. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-3-13, 2019-3-एक भोपाल दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार सीधी भर्ती के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयन होने पर अभ्यर्थी 03 वर्ष की प्रोबेशन अवधि पर नियुक्त होगा, प्रोबेशन अवधि में अभ्यर्थी का प्रथम वर्ष 72 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 82 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत मासिक स्टायपेंड के रूप में दी जायेगी।
21. दिव्यांगजनों हेतु निर्धारित पदों के पदों पर भर्ती संबंधी कार्यवाही मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग / अनुसूचित जाति सेवा आयोग की जायेगी। सेवा नियम 2021 में निर्धारित प्रावधानुसार की जायेगी।
22. विवादों के संबंधित संबंधे अधिकार क्षेत्र न्यायालयों के पास सुनिश्चित होगे।

हस्ताक्षर/पद मुद्रा

आवेदन का प्रारूप

स्व-प्रमाणित पासपोर्ट साइज का फोटो लगाये

प्रति,
कार्यालय का नाम / पूरा पता - डाकघर सहित

01. आवेदक / आवेदिका का पूरा नाम _____
02. आवेदक / आवेदिका के पिता पति का नाम _____
03. आवेदक / आवेदिका की माता का नाम _____
04. आवेदक / आवेदिका की जन्म तिथि (जन्म प्रमाण पत्र / हाई स्कूल की अंकसूची अनुसार) वर्ष _____ माह _____ दिन _____
05. दिनांक _____ को अपने वर्ष _____ माह _____ दिन _____
06. आवेदक / आवेदिका का लिंग (पुरुष / महिला / अन्य) _____
07. वि.अ.क्ता का डिजिटल प्रमाण पत्र संबंधित जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी (हां / नहीं) _____
08. दिव्यांगता की श्रेणी एवं दिव्यांगता की प्रतिशत _____
09. आवेदक / आवेदिका की जाति _____
10. आवेदक / आवेदिका का यदि विवाहित तो पति विवाह के प्रमाण पत्र अनुसार विवाह की दिनांक _____
11. जीविका साधनों का विवरण _____
12. वर्तमान पता / पिन कोड _____
13. स्थाई पता / पिन कोड _____
14. फोनधार का पता / पिन कोड _____
15. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं रोजगार कार्यालय का नाम _____
16. संविदा पद हेतु अनुभव का विवरण _____
17. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताएं (प्रमाण-पत्रों की स्व-प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करें)

क्र.	परीक्षा का नाम	संस्था बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	विषय	कुल अंक	प्राप्त अंक	प्रतिशत	श्रेणी

18. अनुभव यदि हो तो उसका विवरण _____
19. अतिरिक्त विशेष योग्यता यदि हो तो उसका विवरण _____
20. ईमेल आईडी _____
21. मोबाईल नम्बर 1. _____ 2. _____

आवेदक के हस्ताक्षर एवं पूरा पता

घोषणा पत्र

"मैं घोषणा करता हूं / करती हूं कि उपरोक्त सभी जानकारी जो मैंने इस दी गई है। वह मेरे विवेक एवं ज्ञान से पूर्णतः सत्य है। कोई भी जानकारी असत्य पाई जाने पर मेरा आवेदन निरस्त किया जावे।"

आवेदक के हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner